रजिस्टी सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD, NO. D. L.-33004/99



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (i)

PART II-Section 3-Sub-section (i)

पाधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

## सं. 283] नई दिल्ली, बुधवार, मई 28, 2014/ज्येष्ठ 7, 1936 No. 283] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 28, 2014/JYAISTHA 7, 1936

#### अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

#### नई दिल्ली, 28 मई, 2014

सा. का. नि. 363 (अ).— केन्द्र सरकार, वक्फ अधिनियम, 1995 (1995 का 43) के खण्ड 12 के उप—खण्ड (1) और (2) तथा दिनांक 22.03.2012 को सा0 का0 नि0 240(अ) द्वारा संशोधित केंद्रीय वक्फ परिषद नियम, 1998 के नियम 13 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय वक्फ परिषद (सीडब्ल्यूसी) में विभिन्न पदों के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं :—

 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय वक्फ परिषद (समूह 'क, ख और ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय पद) भर्ती नियमावली, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

- अनुप्रयोजन –यह नियम अनुसूची, कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट नियमों के सलंग्न पदों पर लागू होंगे।
- 3. पदनाम, पद—संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/वेतनमान : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा तथा अन्य अर्हताएं: उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- प्रारंभिक गठन :-- (1) इन नियमों के लागू होने से पहले नियमित आधार पर नियुक्त कार्मिक को इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार नियुक्त माना जाएगा।
  - (2) प्रारंभिक गठन के पद से पहले उप–नियम (1) में उल्लिखित कार्मिक की लगातार एवं नियमित सेवा की गणना प्रोन्नति, नियमितिकरण और सेवा काल में पेंशन हेतु परीविक्षा अवधि अरहक सेवा के प्रयोजन से की जाएगी।
- निरईता : वह व्यक्ति
  - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या
  - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

2201 GI/2014

[PART II-SEC. 3(i)]

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

7. वरिष्ठता पर विचार — जहां ऐसे कनिष्ठ, जिन्होंने अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है, पर विचार किया जा रहा है, वहां उनके वरिष्ठों पर विचार किया जाएगा, बशर्ते कि उनकी आवश्यक अर्हक या पात्रता सेवा ऐसी पात्रता सेवा सेवा से आधे से अधिक या दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम नहीं हो और उन्होंने अपने कनिष्ठों, जिन्होंने पहले ही ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, के साथ—साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति हेतु परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।

- 8. शिथिल करने की शक्ति जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और केंद्र सरकार के अनुमोदन से परामर्श के साथ इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 9. व्यावृत्ति इन नियमों की कोई बात, आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन <b>वैंड</b> तथा ग्रेड वेतन/ वेतनमान	जनुरूया चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे मर्ती के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	सीधे मर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और रौक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।
1	2	3	4	5	6	7	8
सचिव	1*(2014) *(कार्य अधिकता के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क" (अराजपत्रित) अननुसचिवीय	वेतन बैंड-3 15600-39100 रू0 + 7600 रू0 ग्रेड वेतन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

'अनसची'

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा।	प्रोन्नति समिति है,	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
9	10	11	12	13
लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति द्वारा	<ul> <li>केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों अथवा स्वायत और सांविधिक निकायों आदि में कार्यरत अधिकारी।</li> <li>(क)</li> <li>(i) नियमित आधार पर मूल काडर और विभाग में सदृश पद को धारण किया हो, या,</li> <li>(ii) वेतन बैंड–3 रु.15600–39100 तथा ग्रेड वेतन '6600 के पद पर 5 वर्ष से नियमित आधार पर तैनात हो तथा अर्हताएं और अनुभव</li> <li>(ख) अर्हताएं और अनुभव</li> </ul>	(i) सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय –अध्यक्ष (ii) संयुक्त सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय – सदस्य (iii) संयुक्त सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय– सदस्य	लागू नहीं

[भाग II-खण्ड 3(i)]

	अनिवार्यः	
	<ul> <li>(i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक</li> <li>डिग्री अथवा समकक्ष;</li> </ul>	
	(ii) प्रशासनिक, वित्तीय और कानूनी मामलों में कम—से—कम 5 वर्ष का अनुभव।	
	वांछनीय :	
	(i) उर्दू भाषा में कार्य करने का ज्ञान;	1.
	<ul> <li>(ii) अरबी और फारसी में पढ़ने और लिखने की क्षमता:</li> </ul>	Sant's
	(iii) निर्माण कार्य अथवा शिक्षा क्षेत्र अथवा अन्य	
	समाज कल्याण गतिविधियों का अनुभव;	
	नोटः 1– प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी	
	अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के	
	ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य	t
	पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, 4	
	वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर	
	नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन	
	प्राप्त करने की अंतिम तारीख को '56 वर्ष से	
	अधिक नहीं होगी'।	1997 3 6
	नोटः 2- प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्ह सेवा की गणना के प्रयोजन हेतु, 1 जनवरी,	
	2006 या उस तारीख से पहले, जब से छठे	
	केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के	
	आधार पर संशोधित वेतन ढांचा प्रदान किया	
	गया है, अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	प्रदान की गई सेवा वेतन आयोग की	
	सिफारिशों के आधार पर प्रदान किए गए	
	तत्समान, ग्रेड वेतन या वेतनमान में प्रदान	1.4.1.0.1
	की गई सेवा मानी जाएगी सिवाय इसके जहां एक ग्रेड में एक से अधिक	
	र्जहा एक प्रंड न एक स जायक संशोधन-पूर्व वेतनमान का विलय साझा ग्रेड	
	वेतन या वेतनमान में किया गया है और	
	जहां यह लाभ केवल ऐसे पदों के लिए	
	प्रदान किया जाएगा जिसके लिए वह ग्रेड	
	वेतन या वेतनमान बिना किसी स्तरोन्नयन	
	के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।	

1	2	3	4	5	6	7	8
2. सहायक प्रशासनिक अधिकारी	1*(2014) *(कार्य अधिकता के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख" (अराजपत्रित) अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2 9300-34800 रु. + 4800 रु. ग्रेड वेतन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

9	10	11	12	13
लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति द्वारा	केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों अथवा स्वायत और सांविधिक निकायों आदि में कार्यरत अधिकारी। (क) (i) नियमित आधार पर सदृश पद को धारण किया हो, या,	परिषद – अध्यक्ष (ii) उप–सचिव अथवा अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य	लागू नहीं

[PART II-SEC. 3(i)]

i	(ii) ग्रेड वेतन रु.4200 अथवा समतुल्य के अल्पसंख्यक कार्य पद पर 6 वर्षों से नियमित आधार पर तैनात हो तथा अर्हताएं और अनुभव प्राप्त किया हों; (ख) अर्हताएं और अनुभव अनिवार्य:
	<ul> <li>(i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री;</li> <li>(ii) स्थापना और प्रशासन से संबंधित कार्यों में 5 वर्ष का अनुभव।</li> </ul>
	वांछनीयः (i) फारसी और अरबी में प्राथमिक ज्ञान; (ii) उर्दू में निपुणता; (iii)सरकारी नियमों, विनियमों और कार्यप्रणाली का अच्छा ज्ञान।
	नोटः 1– प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन / विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य
	पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष होगी।
	नोटः 2– प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्ह सेवा की गणना के प्रयोजन हेतु, 1 जनवरी, 2006 या उस तारीख से पहले, जब से छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के
	आधार पर संशोधित वेतन ढांचा प्रदान किया गया है, अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर प्रदान की गई सेवा वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रदान किए गए
	तत्समान, ग्रेड वेतन या वेतनमान में प्रदान की गई सेवा मानी जाएगी सिवाय इसके जहां एक ग्रेड में एक से अधिक संशोधन—पूर्व वेतनमान का विलय साझा ग्रेड वेतन या वेतनमान में किया गया है और
	जहां यह लाभ केवल ऐसे पदों के लिए प्रदान किया जाएगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी स्तरोन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।

1,	2	3	4	5	6	7	8
3. सहायक विधि अधिकारी	1*(2013) *(कार्य अधिकता के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख" (अराजपत्रित) अननुसचिवीय	येतन बैंड-2 9300-34800 रु. + 4800 रु. ग्रेड येतन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

9	10	11	12	13
लागू नहीं	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	(क) प्रोन्नति के लिएः वेतन बैंड-2 रु.9300-34800 + ग्रेड वेतन रु.4200 में विधि सहायक/सहायक (विधि) में न्यूनतम छह वर्ष की नियमित सेवा हो।	(i) सचिव, केंद्रीय वक्फ परिषद – अध्यक्ष (ii) उप–सचिव अथवा अवर सचिव,	लागू नहीं

[भाग II-खण्ड 3(i)]

भारत का राजपत्र : असाधारण

CONTRACTOR OF TO PERSON IN

5

(ख) प्रतिनियुक्ति के लिएः अल्पसंख्यक कार्य केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा मंत्रालय - सदस्य संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों अथवा सार्वजनिक अवर सचिव, (iii) क्षेत्र उपक्रमों अथवा स्वायत अथवा सांविधिक अल्पसंख्यक कार्य निकायों आदि में कार्यरत अधिकारी। मंत्रालय - सदस्य (क) (i) नियमित आधार पर सदृश पद को धारण किया हो, या, (ii) ग्रेड वेतन रु.4200 के यद पर 6 वर्षों से नियमित आधार पर तैनात हो अथवा समतुल्य तथा अर्हताएं और अनुभव प्राप्त किया हों; (ख) अर्हताएं और अनुभव अनिवार्यः (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक डिग्री; (ii) विधि कार्य का 5 वर्ष का अनुभव। वांछनीय : (i) फारसी और अरबी में प्राथमिक ज्ञान; (ii) कम्प्यूटर साक्षरता; (iii) सरकारी नियमों और प्रशासन/स्थापना प्रणाली का अच्छा ज्ञान; (iv) वक्फ अधिनियम और राजस्वय कानून कीं पर्याप्त जानकारी; (iv) उर्दू में निपुणता। नोट:1- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के 330 ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष होगी। नोटः 2- प्रोन्नती अथवा प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्ह सेवा की गणना के प्रयोजन हेतु 1 जनवरी, 2006 या उस तारीख से पहले, जब से छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन ढांचा प्रदान किया गया है, अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर प्रदान की गई सेवा वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रदान किए गए तत्समान, ग्रेड वेतन या वेतनमान में प्रदान की गई सेवा मानी जाएगी सिवाय इसके जहां एक ग्रेड में एक से अधिक संशोधन-पूर्व वेतनमान का विलय साझा ग्रेड वेतन या वेतनमान में किया गया है और जहां यह लाभ केवल ऐसे पदों के लिए प्रदान किया जाएगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी स्तरोन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है। 2201 -51714-2

144 10 ALMS

网络 化热能 长期 的现在分词 化二磷酸 化二磷酸化

[PART II—SEC. 3(i)]

1	2	3	4	5	6	7	8
4. विकास अधिकारी	1*(2014) *(कार्य अधिकता के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख" (अराजपत्रित) अननुसचिवीय	येतन बैंड-2 9300-34800 रु. + 4800 रु. ग्रेड येतन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

9	10	11	12	13
लागू नहीं	प्रोन्नति द्वारा, जिसके	(क) प्रोन्नतिः	(i) सचिव, केंद्रीय वक्फ	लागू नही
	न होने पर	वेतन बैंड-2 रु. 9300-34800 + ग्रेड वेतन	परिषद – अध्यक्ष	
	प्रतिनियुक्ति द्वारा	रु. 4200 में सहायक में न्यूनतम छह वर्ष की	(ii) उप-सचिव अथवा	
	And Gidt and	नियमित सेवा हो।		
1.2.1			अवर संचिव,	
		(ख) प्रतिनियुक्तिः	अल्पसंख्यक कार्य	
		(क) केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार	मंत्रालय – सदस्य	
		अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों अथवा	(iii) अवर सचिव,	
		सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों अथवा स्वायत और		
		साविधिक निकायों आदि में कार्यरत	अल्पसंख्यक कार्य	
	A State of the second sec		मंत्रालय – सदस्य	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1
		अधिकारी।		
		(i) नियमित आधार पर सदृश अथवा उससे		
		उच्च पद को धारण किया हो, या,		
		(ii) ग्रेड वेतन रु. 4200 के पद पर 6 वर्षों		
		से नियमित आधार पर तैनात हो तथा		
		अर्हताएं और अनुभव प्राप्त किया हों;		
		(ख) अर्हताएं और अनुभव		
		अनिवार्यः		
	State State	(i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक		
		डिग्री;		
		(ii) विकास कायों के निर्माण में पर्यवेक्षी की		
		क्षमता में कम-से-कम 3 वर्ष का अनुभव।		
	A COLOR OF THE PARTY OF THE PAR	वांछनीय :		
	amagine and a set of			
		(i) प्रशासन और लेखों का अनुभव;		
		(ii) उर्दू में कार्यज्ञान;		
	A STATE AND AND A STATE	(iii) फारसी और अरबी पढ़ने की क्षमता।		1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1
		नोटः 1- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके		
		अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी		
		अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के		
		ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्रय		
		पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, 3		
		वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर		
		नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन		
		गानुगरा हुए जावगरान जायु साना जायदन		
		प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष		
		होगी।		
		पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो		
		प्रोन्नति की सीधी लाइन में हैं, प्रतिनियुक्ति		
	Million I as feets	पर नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के पात्र		
		नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर आने	D. A. S. S. S. S. S. S.	
		वाले अधिकारी प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु		
		विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।		
		नोटः 2– प्रोन्नती अथवा प्रतिनियुक्ति के	I and the second second	
		लिए न्यूनतम अई सेवा की गणना के	17111-2-	
		प्रयोजन हेतु, 1 जनवरी, 2006 या उस		
		तारीख से पहले, जब से छठे केंद्रीय वेतन		
Street Street	Provide and the second second	ताराख स पहल, जब स छठ कद्राय वतन		S. S. S. S. S. S.

の語のなどのないのである

आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन ढांचा प्रदान किया गया है, अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर प्रदान की गई सेवा वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रदान किए गए तत्समान, ग्रेड वेतन या वेतनमान में प्रदान की गई सेवा	
मानी जाएगी सिवाय इसके जहां एक ग्रेड में एक से अधिक संशोधन-पूर्व वेतनमान का विलय साझां ग्रेड वेतन या वेतनमान में किया गया है और जहां यह लाभ केवल ऐसे पदों के लिए प्रदान किया जाएगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी स्तरोन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।	

1	2	3	4	5	6	7	8
5. सहायक लेखा अधिकारी /	*(कार्य अधिकता के आधार पर	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख" (अराजपत्रित) अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2 9300-34800 रु. + 4800 रु. ग्रेड वेतन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
1	परिवर्तन हो सकता है)		ier da sons est solute se	Name A state fo	gt melos o to situa	.a.	

9	10	11	12	13
लागू नहीं	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	(क) प्रोन्नतिः ग्रेड येतन रु.4200 में लेखाकार/सहायक (लेखा) में छह वर्ष की नियमित सेवा हो। (ख) प्रतिनियुक्तिः (क) केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों अथवा स्वायत अथवा सांविधिक निकायों आदि में कार्यरत /अधिकारी। (i) नियमित आधार पर सदृश अथवा उससे उच्च पद को धारण किया हो,	(i) सचिव, केंद्रीय वक्फ परिषद – अध्यक्ष (ii) उप-सचिव अथवा अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय – सदस्य (iii) अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय – सदस्य	लागू नहीं
	100000000000000000000000000000000000000	(ii) ग्रेड वेतन रु. 4200 के पद पर 6 वर्षों	6 1 6	
	stin ymynu (* - anning (*	से नियमित आधार पर तैनात हो अथवा समतुल्य तथा अर्हताएं और अनुभव प्राप्त	STRATE AND	
	anaria (n Maria) di di	कियाँ हों; (ख) अर्हताएं और अनुभव अनिवार्यः	1971 1997 - 1992 1976 - 1993 - 1992 1976 - 1995 - 1995	
	norme pro- norme (1990) - 5 Interes - 57	अनिवायः (i) सीए (इंटर) अथवा आईसीडब्ल्यूए उत्तीर्ण अथवा सीएफए अथवा एमबीए (वित्त) अथवा	14 million - 14 million - 15 mi	
	inan minde di Inter states di	मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में   डिग्री;		
	STRUCTURE (1988) (2) (2) STRUCTURE (2) (2) STRUCTURE (2) (2) STRUCTURE (2) (2) STRUCTURE (2) (2) STRUCTURE (2) (2) STRUCTURE (2) STRUCTURE (2) (2) STRUCTURE (2) STRUCTURE	(ii) कार्यालय/प्रतिष्ठित संस्थान में लेखा, बजट निर्माण, बजट नियंत्रण, प्राप्ति/स्टोर का रख-रखाव, आयकर, अंतिम लेखों का पांच वर्ष का अनुभव;		
	nan machailte Iomraithe Br Iomraithe Br	(iii) कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से लेखाओं का संचालन की क्षमता/कम्प्यूटर संचालन का अनुभव।		
	1996 (1997) (1997) 1997 (1997) (1997) (1997)	वांछनीयः (i) सरकारी वित्तीय नियमों और		

	प्रशासनिक/स्थापना प्रक्रियाओं की जानकारी;		
	(ii) वक्फ अधिनियम का पर्याप्त ज्ञान;		
	(iii) उर्दू में निपुणता।		
	नोटः 1- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके		
	अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी		
	अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के		
	ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य		
	पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, 3		
	वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर		
	नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन		
	प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष		
	होगी।		
the second second second second	पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो		and showing
and the second states of the second states of the	प्रोन्नति की सीधी लाइन में हैं, प्रतिनियुक्ति		0.022 50.03
	पर नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के पात्र		1
States and the second	नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर आने	Constant Constant	Maran Cal
	गरा होगा इसा प्रयोर, प्रासानपुर्वित पर जान	Sty is fairly . Same	
	वाले अधिकारी प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु		. I maria
	विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।		
	नोटः 2- प्रोन्नती अथवा प्रतिनियुक्ति के		
	लिए न्यूनतम अई सेवा की गणना के		
	प्रयोजन हेतु, 1 जनवरी, 2006 या उस		
Presented as a second second second	तारीख से पहले, जब से छठे केंद्रीय वेतन	一般的 人名英尔德	
	आयोग की सिफारिशों के आधार पर		
	संशोधित वेतन ढांचा प्रदान किया गया है,		
	अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर प्रदान की		A state of the state
The second second second	गई सेवा वेतन आयोग की सिफारिशों के		and the second
stan fort scone not a mane fi	आधार पर प्रदान किए गए तत्समान, ग्रेड		
A STATE AND A STATE AND A STATE	वेतन या वेतनमान में प्रदान की गई सेवा	经 一种 原则 不	
and the many mathematic (a)			a series and
1996	मानी जाएगी सिवाय इसके जहां एक ग्रेड में		
States and the second second	एक से अधिक संशोधन-पूर्व वेतनमान का		
The second second	विलय साझा ग्रेड वेतन या वेतनमान में किया		
1000 1000 100	गया है और जहां यह लाभ केवल ऐसे पदों		1.1.1.1.1.1
Called - States	के लिए प्रदान किया जाएगा जिसके लिए		
	वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी		
· · · ·	स्तरोन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।		1220102

1	2	3	4	5	6	7	8
6. सहायक	3*(2014)	साधारण	वेतन बैंड-2	लागू नहीं	अधिकतम 30 वर्ष	अर्हरताएं और	लागू नहीं
(लेखा)/	*(कार्य	केन्द्रीय सेवा	9300-34800	1. 1 1.	(जिसमें केंद्र	अनुभव –	
लेखाकार	अधिकता	समूह "ख"	₹. + 4200		सरकार द्वारा	अनिवार्यः	
	के आधार	(अराजपत्रित)	रु. ग्रेड वेतन	100 50	जारी आदेशों के	(i) सीए (इंटर)	
	पर	अननुसचिवीय		1.	अनुसार सरकारी	अथवा	
and a start	परिवर्तन हो	3	The shide	115 115 315 -	कर्मचारियों को 5	आईसीडब्ल्यूए	
	सकता है)			the second		उत्तीर्ण अथवा	
			and the set	Sections.	वर्ष तक की छूट दी जा सकती है)	सीएफए अथवा	
					नोटः आयु	एमबीए (वित्त)	
			and the state		निर्धारित करने	अथवा मान्यताप्राप्त	
			e vintant		की निर्णायक	विश्वविद्यालय से	
			12 A. 10 A. 10	- 25718 500	तिथि आवेदन	वाणिज्य में डिग्री;	
					प्राप्त करने की	(ii) लेखाओं,	
			() 你的话:	<b>新新新闻</b>	अंतिम तिथि	बहीखाता– लेखन	
			a oral children	(S) HOUSE	होगी।	का व्यावहारिक	
				19.10	1. 1. 1.	ज्ञान और अंतिम	
			AND A DECEMPT	1.0.1	Salarity .	लेखों, निवेश आदि	
6000				14/1		का पांच वर्षों का	
1						अनुभव अथवा ग्रेड	

[भाग II-खण्ड 3(i)]

भारत का राजपत्र : असाधारण

9

-

वेतन रु. 2400 पर कनिष्ठ लेखाकार में कार्यरत। वांछनीय : ł (i) फारसी और अरबी में प्राथमिक ज्ञान; (ii) वक्फ अधिनियम और नियमों तथा प्रक्रियाओं का ज्ञान और स्वतंत्र रूप से अंग्रेजी में पत्राचार करने की क्षमता; (iii) उर्दू में निपुणता।

9	10	11	12	13
दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नतिः (i) वेतन बँड—1 में ग्रेड वेतन '2400 में 10 वर्षों की नियमित सेवा के साथ लेखा लिपिक अथवा उच्च श्रेणी लिपिक 10 वर्षों की नियमित सेवा के साथ, जिसमें से न्यूनतम 5 वर्ष का लेखाओं संबंधित मामलों का अनुभव; (ii) कम्प्यूटर संचालन का पर्याप्त ज्ञान। नोट: 1— प्रतिनियोक्ता पदोन्नति द्वारा नियुक्ति पर विचार करने के लिए पात्र नहीं होंगे। नोट: 2— प्रोन्नती अथवा भर्ती के लिए न्यूनतम अर्ह सेवा की गणना के प्रयोजन हेतु, 1 जनवरी, 2006 या उस तारीख से पहले, जब से छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन ढांचा प्रदान किया गया है, अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर प्रदान की गई सेवा वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रदान किए गए तत्समान, ग्रेड वेतन या वेतनमान में प्रदान की गई सेवा मानी जाएगी सिवाय इसके जहां एक ग्रेड में एक से अधिक संशोधन—पूर्व वेतनमान का विलय साझा ग्रेड वेतन या वेतनमान में किया गया है और जहां यह लाभ केवल ऐसे पदों के लिए प्रदान किया जाएगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी स्तरोन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।		लागू नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8
7. सहायक (विधि)	1*(2014) *(कार्य अधिकता के आधार पर पर परिवर्तन हो सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख" (अराजपत्रित) अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2 9300-34800 रू0 + 4200 रू0 ग्रेड वेतन	लागू नहीं	अधिकतम 30 वर्ष (जिसमें केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को 5 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है)	अनुमव – (क) अनिवार्यः (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री; (ii) उच्च श्रेणी	लागू नहीं

2201-55714-3

[PART II-SEC. 3(i)]

	तिथि आवेदन	विधि व्यवसाय अथवा विधि मामलों से संबंधित कार्यालय में कार्य का पांच वर्ष का अनुभव। (ख) वांछनीय : (i) फारसी और अरबी का प्रारंभिक ज्ञान; (ii) वक्फ अधिनियम और नियमों तथा प्रक्रियाओं का ज्ञान और स्वतंत्र रूप से अंग्रेजी में पत्राचार करने की क्षमता; (iii) उर्दू में निपुणता।
--	------------	---

9	10	11	12	13
दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नतिः (i) वेतन बँड-2 में ग्रेड वेतन रु. 2400 में कम-से-कम 10 वर्षों की नियमित सेवा के साथ उच्च श्रेणी लिपिक तथा 5 वर्ष का विधि मामलों संबंधी कार्य का अनुभव; (ii) कम्प्यूटर संचालन का पर्याप्त ज्ञान। नोटः 1 प्रतिनियोक्ता पदोन्नति द्वारा नियुक्ति पर विचार करने के लिए पात्र नहीं होंगे। नोटः 2 प्रोन्नती अथवा भर्ती के लिए न्यूनतम अर्ह सेवा की गणना के प्रयोजन हेतु, 1 जनवरी, 2006 या उस तारीख से पहले, जब से छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन ढांचा प्रदान किया गया है, अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर प्रदान की गई सेवा वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रदान किए गए तत्समान, ग्रेड वेतन या वेतनमान में प्रदान की गई सेवा मानी जाएगी सिवाय इसके जहां एक ग्रेड में एक से अधिक संशोधन-पूर्व वेतनमान का विलय साझा ग्रेड वेतन या वेतनमान में किया गया है और जहां यह लाभ केवल ऐसे पदों के लिए प्रदान किया जाएगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी स्तरोन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।	(i) संचिव, केंद्रीय वक्फ परिषद – अध्यक्ष (ii) उप–सचिव अथवा अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय – सदस्य (iii) अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय – सदस्य	लागू नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8
8. सहायक (विकास) / सहायक	1 (4.4.1)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख" (अराजपत्रित) अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2 9300-34800 रु.+ 4200 रु. ग्रेड वेतन	लागू नहीं	अधिकतम 30 वर्ष (जिसमें केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को	(क) अनिवार्यः (i) मान्यताप्राप्त	लागू नहीं

.

•

۲

[भाग II-खण्ड 3(i)]

-----

हो सकता है)		5 वर्ष तक की छूट दी जा सकती हैं) नोटः आयु निर्धारित करने की निर्णायक तिथि आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी।	अंग्रेजी में टंकण 35 शब्द प्रति मिनट अथवा हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की गति। (ख) वांछनीय : (i) फारसी और अरबी का व्यावहारिक ज्ञान; (ii) वक्फ अधिनियम और नियमों तथा प्रक्रियाओं का ज्ञान और स्वतंत्र रूप से अंग्रेजी में पत्राचार करने की क्षमता; (iii) उर्दू में	
2.282			निपुणता।	

9	10	11	12	13
दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नतिः (i) ग्रेड वेतन रु.2400 के साथ कम-से-कम 10 वर्षों की नियमित सेवा के साथ उच्च श्रेणी लिपिक और (ii) कम्प्यूटर का पर्याप्त ज्ञान, कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में टंकण 35 शब्द प्रति मिनट अथवा हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की गति। वांछनीय: कम्प्यूटर पर उर्दू में टंकण गति 25 शब्द प्रति मिनट। नोट: 1 प्रतिनियोक्ता पदोन्नति द्वारा नियुक्ति पर विचार करने के लिए पात्र नहीं होंगे। नोट: 2 प्रोन्नती अथवा भर्ती के लिए न्यूनतम अर्ह सेवा की गणना के प्रयोजन हेतु, 1 जनवरी, 2006 या उस तारीख से पहले, जब से छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन ढांचा प्रदान किया गया है, अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर प्रदान की गई सेवा वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रदान किए गए तत्समान, ग्रेड वेतन या वेतनमान में प्रदान की गई सेवा मानी जाएगी सिवाय इसके जहां एक ग्रेड में एक से अधिक संशोधन-पूर्व वेतनमान का विलय साझा ग्रेड वेतन या वेतनमान में किया गया है और जहां यह लाभ केवल ऐसे पदों के लिए प्रदान किया जाएगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी स्तरोन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।	(ii) उप–सचिव अथवा अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय – सदस्य (iii) अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य	लागू नही

12

### THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC. 3(i)]

9.     1*(2014)     साधारण     वेतन बैंड-2     लागू नहीं     अधिकतम 30 वर्ष     अर्हरताएं और       आशुलिपिक     *(कार्य     केन्द्रीय सेवा     9300-34800     (जिसमें     केंद्र     अनुभव -       अधिकतग     सरकार     इर्डा केंद्र     अनुभव -     उर्धाकतग     उर्धाकतग     उर्धाकतग	8	7	6	5	4	3	2	1
के आधार पर       (अराजपत्रित) अननुसार सरकारी       रु. ग्रेंड वेतन       (जारी आदेशों के अनुसार सरकारी       (i)       मान्यताप्राप्त विववविद्यालय से उम्मारियों को 5 वर्ष तक की एट दी जा सकती है)       (ii)       आयात पा विववविद्यालय से उम्मारियों को 5 वर्ष तक की एट दी जा सकती है)       (iii)       आयात पा विववविद्यालय से उम्मार तमक ही       (ii)       आयात पा विववविद्यालय से उम्मार तमक ही       (iii)       आयात पा विववविद्यालय से उम्मार तमक ही       (iii)       आयात पा विववविद्यालय से उम्मार तमक ही       (iii)       आयात पा वम्प्यूटर क पात करने की अतिम तिथि ओरोजी में टकण 35 राब्द प्रति निमन्द अधवा हिर्द में 30 शब्द प्रति निमन्द अधवा हिर्द में 30 शब्द प्रति निमन्द अधवा हिर्द में 30 शब्द प्रति निमन्द आपा उर्ड राब्द प्रति निमन्द भागती।       (ii)       ज्ज्य्य वम्प्यूटर पा उर्ड राब्द प्रति निमन्द यां के ऐरे विमागति क रीधि लाइन में है प्रतिनियुतिस के पात्र नहीं होंगे	लागू नहीं	अहंरताएं और अनुमव – (क) अनिवार्यः (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री अथवा समकक्ष । (ii) आशुलिपि में 100 शब्द प्रति मिनट लिखने की क्षमताः तथा (iii) कम्प्यूटर का पर्याप्त ज्ञान, कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में टंकण 35 शब्द प्रति मिनट अथवा हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की गति । (ख) वांछनीय : (i) कम्प्यूटर पर उर्दू में टंकण गति 25 शब्द प्रति मिनट; (ii) उर्दू में निपुणता । नोट : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी लाइन में हैं, प्रतिनियुक्ति पर	अधिकतम 30 वर्ष (जिसमें केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को 5 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है) नोटः आयु निर्धारित करने की निर्णायक तिथि आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि		वेतन बैंड-2 9300-34800 रु.+ 4200	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख" (अराजपत्रित)	1*(2014) *(कार्य अधिकता के आधार पर परिवर्तन हो	9.

9	10	11	12	13
दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नतिः (क) अनिवार्यः (i) वेतन बँड-1 में ग्रेड वेतन रु. 2400 के साथ कम-से-कम 10 वर्षों की नियमित सेवा के साथ स्टेनों टाईपिस्ट/उच्च श्रेणी लिपिक; (ii) आशुलिपि में 100 शब्द प्रति मिनट लिखने की क्षमताः तथा (ii) कम्प्यूटर का पर्याप्त ज्ञान, कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में टंकण 35 शब्द प्रति मिनट अथवा हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की गति।	अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय – सदस्य (iii) अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य	लागू नहीं

् भारत का राजपत्र : असाधारण

	(ख) वांछनीयः- कम्प्यूटर पर उर्दू में टंकण गति 25 शब्द प्रति मिनट। नोटः 1- प्रतिनियोक्ता पदोन्नति द्वारा नियुक्ति पर विचार करने के लिए पात्र नहीं होंगे। नोटः 2- प्रोन्नती अथवा भर्ती के लिए न्यूनतम अर्ह सेवा की गणना के प्रयोजन हेतु, 1 जनवरी, 2006 या उस-तारीख से पहले, जब से छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन ढांचा प्रदान किया गया है, अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर प्रदान की गई सेवा वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रदान किए गए तत्समान, ग्रेड वेतन या वेतनमान में प्रदान की गई सेवा मानी जाएगी सिवाय इसके जहां एक ग्रेड में एक से अधिक	
and Shortes Shortes Shortes Shortes (M)	संशोधन—पूर्व वेतनमान का विलय साझा ग्रेड वेतन या वेतनमान में किया गया है और जहां यह लाभ केवल ऐसे पदों के लिए प्रदान किया जाएगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी स्तरोन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।	

1	2	3	4	5	6	7	8
10. ग्रंथालय, प्रलेखन तथा संदर्भ सहायक	1*(2014) *(कार्य अधिकता के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख" (अराजपत्रित) अननुसचिवीय	येतन बैंड-2 9300-34800 रु. + 4200 रु. ग्रेड वेतन	लागू नहीं	नोटः आय	अनुभव – (क) अनिवार्यः (i) ग्रंथालय विज्ञान में डिग्री; (ii) विख्यात ग्रंथालय में कार्य करने का 5 वर्षों का अनुभव; (ख) वांछनीय :	लागू नहीं

9	10	11	12	13
दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर सीधी भर्ती	प्रोन्नतिः	(i) सचिव, केंद्रीय वक्फ परिषद – अध्यक्ष	लागू नहीं
	द्वारा	(i) ग्रेड वेतन रु. 2400 में 10 वर्षों की		
	and there apply in any work where as	नियमित सेवा के साथ उच्च श्रेणी लिपिक;	(ii) उप-सचिव अथवा अवर सचिव,	
	and the sets	(ii) ग्रंथालय कार्य में 5 वर्षों का अनुभव; तथा	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय – सदस्य	
	toor page and	(iii) ग्रंथालय विज्ञान में डिग्री;		
		नोटः 1 प्रतिनियोक्ता पदोन्नति द्वारा नियुक्ति पर विचार करने के लिए पात्र नहीं होंगे।	(iii) अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय – सदस्य	

2201 557 14-4

J-UN (277 ABEE

	the second se	
	2— प्रोन्नती अथवा भर्ती के लिए न्यूनतम अर्ह सेवा की गणना के प्रयोजन हेतु, 1 जनवरी, 2006 या उस तारीख से पहले, जब से छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन ढांचा प्रदान	
	किया गया है, अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर प्रदान की गई सेवा वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रदान किए गए तत्समान, ग्रेड वेतन या वेतनमान में प्रदान की गई सेवा मानी जाएगी सिवाय इसके जहां एक ग्रेड में एक से अधिक	
	संशोधन-पूर्व वेतनमान का विलय साझा ग्रेड वेतन या वेतनमान में किया गया है और जहां यह लाभ केवल ऐसे पदों के लिए प्रदान किया जाएगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी स्तरोन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।	

1	2	3	4	5	6	7	8
11. सहायक प्रोग्रामर	2 1*(2014) *(कार्य अधिकता के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	उ साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख" (अराजपत्रित) अननुसचिवीय	4 येतन बैंड-2 9300-34800 रु.+ 4200 रु. ग्रेड वेतन	ठ लागू नहीं	6 अधिकतम 30 वर्ष (जिसमें केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को 5 वर्ष तक की छट दी जा सकती है) नोट: आयु निर्धारित करने की निर्णायक तिथि आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी।	अर्हरताएं और अनुमव – (क) अनिवार्यः (i) बीसीए अथवा कम्प्यूटर एप्लीकेशन में तीन वर्षों का डिप्लोमा/ कम्प्यूटर एप्लीकेशन में रनातकोत्तर डिप्लोमा; (ii) कम्प्यूटर एप्लीकेशन अथवा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में तीन वर्षों का अनुभव; और (iii) अंग्रेजी में निपुणता। (ख) वांछनीय : हिंदी और उर्दू में कार्य ज्ञान; नोटः 1– पदधारी की प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या	8 लागू नहीं
						अध्ययन छुट्टी या अन्य परिस्थितियों के कारण एक वर्ष या अधिक के लिए दूर रहने पर कारित रिक्तियों के केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम अथवा स्वायत्त या सांविधिक निकाय आदि के	

-

BUTTONO BID

		अधिकारियों से	
		प्रतिनियुक्ति पर भरा	
	inter to the second second second	जा सकता है।	
	1000 10 100 000	(i) नियमित आधार	
	i will be the state of the state	पर सदृश पद धारण	
	In the Part of the state of the	किया है; अथवा	
		(ii) रु.2400 के ग्रेड	
82.		वेतन के साथ वेतन	
THE AS D	Security who have a security of the second	बैंड—2 में 5 वर्ष की नियमित सेवा अथवा	
	The second states a second if does a west at /	समकक्ष; और	
	tone and a set on the ment of an and a second	(iii) सीधे भर्ती के	1
	AND	लिए अपेक्षित शैक्षिक	
	find a statement i beginn de fine ine in regine (iii	एवं अन्य अर्हताएं	
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	होना।	
	pola and sin the second developed of the	नोटः 2- पोषक	
	्यात्र विकार केले हो जिन पांच केले विकार पांच विकार	X41 4/ 50	
,	the z- profit and the line of a line	विभागीय अधिकारी	
	i in antipa to prop do not sue story		
	the state of the second state of the second states	I viner chart i c,	
	e the set of a state with the state of		
	is in a notice of an and a trained		
· · ·	in the second of the second	नहीं होंगे। इसी	
	रे विकेस आताने प्रस्ता के सिंह	प्रकार, प्रतिनियक्ति	
	्रियेक रुप्र, इत्यांच हे रिप्रीय ही कि गाँधा	पर आने वाले	
	the second second is the second se	अधिकारी प्रोन्नति	
	· main deglas has less an fur real	and ingind eg	
	1 57 W 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	19913 1975 0111 47	
	प्रसंदर-पूर्व वामसान का होताइ लाग्रा हो	पात्र नहीं होंगे।	-

en a ne ny ma en av in

9	10	11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	12	13
दो वर्ष	सीधी भर्ती	लागू नहीं	(i) सचिव, केंद्रीय वक्फ	लागू नहीं।
			परिषद - अध्यक्ष	
	· ·	a man i at the tist will be	(ii) उप-सचिव अथवा	
	Competent 1	al sector and	अवर सचिव,	1. 1.00
	martin tab i	The state + a	अल्पसंख्यक कार्य	
	Them maker the	a finders detail	मंत्रालय - सदस्य	
	The Decominant	S any Thereis	(iii) अवर सचिव,	
	State & sector	fill the first of the second	अल्पसंख्यक कार्य	
	Infa the new in 1987	A maker at the second second	मंत्रालय – सदस्य	

श्रेणी * केन्द्रीय सेवा 5200–20200 लिपिक (कार्य समूह "ग" रु.+ 2400 अधिकता (अराजपत्रित) रु.ग्रेड वेतन के आधार अननुसचिवीय अनुसार सरकारी		2	3	4	5	6	7	8
पर परिवर्तन हो सकता है)	श्रेणी	* (कार्य अधिकता के आधार पर परिवर्तन हो	केन्द्रीय सेवा समूह "ग" (अराजपत्रित)	5200-20200	लागू नहीं	बीच (जिसमें केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को 40 वर्ष तक की	अनुभव – (क) अनिवार्यः (i) मान्यता–प्राप्त विश्वविद्यालय से	लागू नहीं

[PART II-SEC. 3(i)]

नोटः आयु (ii) सरकारी अध्य निर्धारित करने अर्द्धसरकारी विभा की निर्णायक में न्यूनतम ती तिथि आवेदन वर्षों का पत्राच	ग न
प्राप्त करने की अनुभव। अंतिम तिथि <b>(ख) वांछनी</b> य : होगी। उर्दू में निपुणता।	

9	10	11	12	13
दो वर्ष	प्रोन्नती द्वारा, जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नतिः (i) ग्रेड वेतन रु. 1900 में न्यूनतम 8 वर्षों की नियमित सेवा के साथ अवर श्रेणी लिपिक; (ii) मैट्रिक उत्तीर्ण; और (iii) कम्प्यूटर पर कार्य करने की जानकारी, उर्दू हिंदी और अंग्रेजी का पर्याप्त ज्ञान। नोटः 1– प्रतिनियोक्ता पदोन्नति द्वारा नियुक्ति पर विचार करने के लिए पात्र नहीं	(i) सचिव, केंद्रीय वक्फ परिषद – अध्यक्ष (ii) उप–सचिव अथवा अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय – सदस्य (iii) अवर सचिव, अल्पर्ग्रालय कर्पा	लागू नहीं।
		नियुक्ति पर विचार करने के लिए पात्र नहां होंगे। नोट: 2 प्रोन्नती अथवा भर्ती के लिए न्यूनतम अर्ह सेवा की गणना के प्रयोजन हेतु, 1 जनवरी, 2006 या उस तारीख से पहले, जब से छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन ढांचा प्रदान किया गया है, अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर प्रदान की गई सेवा वेतन	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय – सदस्य	
		आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रदान किए गए तत्समान, ग्रेड वेतन या वेतनमान में प्रदान की गई सेवा मानी जाएगी सिवाय इसके जहां एक ग्रेड में एक से अधिक संशोधन-पूर्व वेतनमान का विलय साझा ग्रेड वेतन या वेतनमान में किया गया है और जहां यह लाभ केवल ऐसे पदों के लिए प्रदान किया जाएगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी स्तरोन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।		

1	2	3	4	5	6	7	8
13. लेखा लिपिक	3*(2014) *(कार्य अधिकता के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" (अराजपत्रित) अननुसचिवीय	येतन बैंड-1 5200-20200 रु. + 2400 रु. ग्रेड वेतन	लागू नहीं	18 से 25 वर्ष के बीच (जिसमें केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को 40 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है)	अनुभव – (क) अनिवार्यः	लागू नहीं
					नोटः आयु निर्धारित करने की निर्णायक तिथि आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी।	(iii) कम्प्यूटर के माध्यम से लेखाओं	

[भाग II-खण्ड 3(i)]

9	10	11	12	13
दो वर्ष	प्रोन्नती द्वारा, जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नतिः (i) ग्रेड वेतन रु. 1900 में न्यूनतम 8 वर्षों की नियमित सेवा के साथ अवर श्रेणी लिपिक/लेखा लिपिक; और (ii) मैट्रिक उत्तीर्ण। नोटः 1— प्रतिनियोक्ता पदोन्नति द्वारा नियुक्ति पर विचार करने के लिए पात्र नहीं होंगे। नोटः 2— प्रोन्नती अथवा भर्ती के लिए न्यूनतम अर्ह सेवा की गणना के प्रयोजन हेतु, 1 जनवरी, 2006 या उस तारीख से पहले, जब से छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन ढांचा प्रदान किया गया है, अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर प्रदान की गई सेवा वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रदान किए गए तत्समान, ग्रेड वेतन या वेतनमान में प्रदान की गई सेवा मानी जाएगी सिवाय इसके जहां एक ग्रेड में एक से अधिक संशोधन-पूर्व वेतनमान का विलय साझा ग्रेड वेतन या वेतनमान में किया गया है और जहां यह लाभ केवल ऐसे पदों के लिए प्रदान किया जाएगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी स्तरोन्नयन क सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।	(i) सचिव, केंद्रीय वक्फ परिषद – अध्यक्ष (ii) उप–सचिव अथवा अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय – सदस्य (iii) अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय – सदस्य	लागू नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8
14. अवर श्रेणी लिपिक		साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" (अराजपत्रित) अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1 5200-20200 रू0 + 1900 रू0 ग्रेड वेतन	लागू नहीं	(जिसमें केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को 40 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है) नोटः आयु	आअनुभव – (क) अनिवार्यः (i) 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष; (ii) कम्प्यूटर का पर्याप्त ज्ञान, कम्प्यूटर पर	लागू नहीं
			A Constant of the second secon		निर्धारित करने की निर्णायक तिथि आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी।	अंग्रेजी में टंकण 35 शब्द प्रति मिनट अथवा हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की गति। (ख) वांछनीय : (i) कम्प्यूटर पर उर्दू में टंकण गति 25 शब्द प्रति मिनट; और (ii) उर्दू में निपुणता।	

9	10	Stell Asset Wette	11	12	13
दो वर्ष	प्रोन्नती द्वारा, जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	(क) अनिवार्यः	হ্ন. 1800	(i) सचिव, केंद्रीय वक्फ परिषद – अध्यक्ष (ii) उप–सचिव अथवा	लागू नहीं।

[PART II-SEC. 3(i)]

		5200-20200 में न्यूनतम 3 वर्षों की नियमित	अवर सचिव,	•
		सेवा के साथ मैट्रिक उत्तीर्ण अधिकारी;	अल्पसंख्यक कार्य	
	The second second	(ii) कम्प्यूटर का पर्याप्त ज्ञान, कम्प्यूटर पर	मंत्रालय - सदस्य	
i		अंग्रेजी में टंकण 35 शब्द प्रति मिन्ट अथवा	(iii) अवर सचिव,	
	1.15.1 2.1 2.1 2.191	हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की गति।	अल्पसंख्यक कार्य	
	1	(ख) वांछनीय :	मंत्रालय - सदस्य	
	the sector	(i) कम्प्यूटर पर उर्दू में टंकण गति 25 शब्द		
	100 100 TO 100	प्रति मिनट; और		
	Ser via	(ii) उर्दू में निपुणता।		
	a fine a shear	नोटः 1- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय		
		अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी लाइन में हैं,		
		प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचार किए		1997.000
		जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार,		
		प्रतिनियुक्ति पर आने वाले अधिकारी प्रोन्नति		
		द्वारा नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के पात्र		1812 28
		नहीं होंगे।		
		नोटः 2– प्रतिनियोक्ता पदोन्नति द्वारा		
		नियुक्ति पर विचार करने के लिए पात्र नहीं		
		होंगे।		
		नोटः 3- प्रोन्नती अथवा भर्ती के लिए		
		न्यूनतम अर्ह सेवा की गणना के प्रयोजन हेतु,		
		1 जनवरी, 2006 या उस तारीख से पहले,	× .	20.000
See See		जब से छठे केंद्रीय वेतन आयोग की		
		सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन		
		ढांचा प्रदान किया गया है, अधिकारी द्वारा		
	and the second second	नियमित आधार पर प्रदान की गई सेवा वेतन		
		आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रदान		
		किए गए तत्समान, ग्रेड वेतन या वेतनमान में		
		प्रदान की गई सेवा मानी जाएगी सिवाय		
102.40		इसके जहां एक ग्रेड में एक से अधिक		
		संशोधन-पूर्व वेतनमान का विलय साझा ग्रेड		
		वेतन या वेतनमान में किया गया है और		
		जहां यह लाभ केवल ऐसे पदों के लिए		
		प्रदान किया जाएगा जिसके लिए वह ग्रेड		
		वेतन या वेतनमान बिना किसी स्तरोन्नयन के		
		सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।		

1	2	3	4	5	6	7	8
15. स्टेनों टाइपिस्ट	2*(2014) *(कार्य अधिकता के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" (अराजपत्रित) अननुसचिवीय	येतन बैंड–1 5200–20200 रु. + 1900 रु. ग्रेड वेतन	लागू नहीं	18 से 25 वर्ष के बीच (जिसमें केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को 40 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है) नोट: आयु निर्धारित करने की निर्णायक तिथि आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी।	अनुभव – (क) अनिवार्यः (i) 12वीं कक्षा	लागू नहीं

### [भाग II-खण्ड 3(i)]

	9 4 5 19 (8) (9)	173 B.W.		अंग्रेजी में टंकण 35 शब्द प्रति मिनट अथवा हिंदी
• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		N. S. S.		में 30 शब्द प्रति मिनट की गति। (ख) वांछनीय :
		•		(i) कम्प्यूटर पर उर्दू में टंकण गति
				25 शब्द प्रति मिनट; और (ii) उर्दू में निपुणता।

9	10	11	12	13
ु दो वर्ष	प्रोन्नती द्वारा, जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नतिः (i) ग्रेड वेतन रु.1800 में न्यूनतम 3 वर्षों की नियमित सेवा के साथ अधिकारी; (ii) मैट्रिक उत्तीर्ण; (iii) टंकण और उर्दू की जानकारी; और (iv) कम्प्यूटर में न्यूनतम 6 माह का डिप्लोमा पाठ्यक्रम अथवा समकक्ष। नोट: 1— प्रतिनियोक्ता पदोन्नति द्वारा नियुक्ति पर विचार करने के लिए पात्र नहीं होंगे। नोट: 2— प्रोन्नती अथवा भर्ती के लिए न्यूनतम अर्ह सेवा की गणना के प्रयोजन हेतु, 1 जनवरी, 2006 या उस तारीख से पहले, ज्रंब से छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन ढांचा प्रदान किया गया है, अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर प्रदान की गई सेवा वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रदान किए गए तत्समान, ग्रेड वेतन या वेतनमान में प्रदान की गई सेवा मानी जाएगी सिवाय इसके जहां एक ग्रेड में एक से अधिक संशोधन–पूर्व वेतनमान का विलय साझा ग्रेड वेतन या वेतनमान में किया गया है और जहां यह लाभ केवल ऐसे पदों के लिए प्रदान किया जाएगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी स्तरोन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।	(i) सचिव, केंद्रीय वक्फ परिषद – अध्यक्ष (ii) उप–सचिव अथवा अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय – सदस्य (iii) अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय – सदस्य	लागू नहीं

1	2	3	. 4	5	6	7	8
16. डिस्पेच राइडर ∕ ड्राइवर–कम–डिस्पेच राइडर	2*(2014) *(कार्य अधिकता के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" (अराजपत्रित) अननुसचिवीय	येतन बैंड−1 5200−20200 रु.+ 1900 रू0 ग्रेड वेतन	लागू नहीं	18 से 25 वर्ष के बीच (जिसमें केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को 40 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है) नोट: आयु निर्धारित करने की निर्णायक	अर्हरताएं और अनुभव – (क) अनिवार्यः (i) कार / तिपहिया स्कूटर चलाने के लिए वैध लाइसेंस; (ii) कार चलाने का न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव; (iii) अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू के	लागू नहीं

[PART II—SEC. 3(i)]

i	तिथि आवेव प्राप्त करने व अंतिम तिर्ा होगी !	ठी मैट्रिक उत्तीर्ण;
		लिए दूर रहने पर कारित रिक्तियों के केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार
		अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम अथवा स्वायत्त या सांविधिक निकाय आदि के
		आदि के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति पर भरा जा सकता है।

9	10	11	12	13
दो वर्ष	सीधी भर्ती	लागू नहीं	(i) सचिव, केंद्रीय वक्फ परिषद – अध्यक्ष (ii) उप–सचिव अथवा अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय – सदस्य (iii) अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय – सदस्य	लागू नहीं।

100	1		

1	2	3	4	5	6	7	8
17. मल्टी– टास्किंग स्टॉफ (एमटीएस)	3*(2014) *(कार्य अधिकता के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" (अराजपत्रित) अननुसचिवीय	येतन बैंड—1 5200—20200 रु.+ 1800 रु. ग्रेड वेतन	लागू नहीं	18 से 25 वर्ष के बीच (जिसमें केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को 40 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है) नोट: आयु निर्धारित करने	अर्हरताएं और अनुभव – (क) अनिवार्यः मैट्रिक उत्तीर्ण अथवा समकक्ष अथवा आईटीआई उत्तीर्ण (सटीक अर्हताएं विज्ञापन में कार्य की जरूरतों के अनुसार विनिर्विष्ट	लागू नहीं

भारत का राजपत्र : असाधारण

[भाग II-खण्ड 3(i)]

1		Blick		की निर्णायक तिथि आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी।	की जाएंगी) नोटः पदधारी की प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या अन्य परिस्थितियों	
				1007	के कारण एक वर्ष या अधिक के लिए दूर रहने पर कारित रिक्तियों के	
		Lines of the		u o state o all'A	केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र	
रने प्रत्य	and in 1899	saluk termise	Gada Madas A	(1) (1) alon ion (1) alon ion	प्रशासन अथवा सार्वजनिक क्षेत्र	
- 10 - 10 - 10				275) Quant Li	उपक्रम अथवा स्वायत्त या सांविधिक निकाय आदि के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति पर	
- Abalo	Horseoler (p. 44	ingosi is lan Ingosi san	e od ern som gebrer fille er	a tan bi (dan diti) ta Ganagi gi (dan di G	प्रतिनियुक्ति पर भरा जा सकता है।	ay B 2

9	10	11	12	13
9 दो वर्ष	ाण सीधी भर्ती	लागू नहीं	<ul> <li>(i) सचिव, केंद्रीय वक्फ परिषद – अध्यक्ष</li> <li>(ii) उप–सचिव अथवा अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय – सदस्य</li> <li>(iii) अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय – सदस्य</li> </ul>	लागू नहीं

[फा. सं० 8/4/2010-वक्फ] राकेश मोहन, संयुक्त सचिव

2201 55714-6

[PART II-SEC. 3(i)]

### MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 28th May, 2014.

G.S.R. 363 (E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of Section 12 of the Waqf Act, 1995 (43 of 1995) and Rule 13 of the Central Waqf Council Rules, 1998, as amended by GSR 240(E) dated 22.03.2012, the Central Government hereby makes the following Rules for the various posts of the Central Waqf Council (CWC):-

 Short title and commencement - (1) These Rules may be called the Central Waqf Council (Group 'A, B and C' Non-Gazetted, Non-Ministerial Posts) Recruitment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

- 2. Application These Rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these Rules.
- 3. Name of the posts, number of posts, classification, pay band and grade pay/pay scale The number of said posts, their classification, Pay Band and Grade Pay/Pay Scale as attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the aforesaid Schedule.
- 4. Method of recruitment, age-limit and other qualifications The method of recruitment to the post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.
- 5. Initial Constitution (1) The personnel holding the posts on regular basis before the commencement of these Rules, shall be deemed to have been appointed in accordance with the provisions of these rules.

(2) The regular continuous service of personnel mentioned in the sub-rule (1) prior to the posts at the initial constitution shall count for the purpose of probation period, qualifying service for promotion, confirmation and pension, if any, in the service.

۴

[ भाग ||- खण्ड 3(i)]

भारत का राजपत्र : असाधारण

6. Disgualification - No person,-

- (a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts.

- Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
- 7. Consideration of Seniors Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.
- 8. Power to relax Where the Governing Body is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the approval of the Central Government, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- Saving Nothing in these Rules shall affect reservation, relaxation of age-limits and other concessions required to be provided for the special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Name of Post	Number of Post	Classification	Pay Band and Grade Pay/ Pay Scale	Whether Selection Post or Non- selection Post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Secretary	1*(2014) *(Subject to variation and dependent on work load)	General Central Service Group-A (Non- Gazetted), Non- Ministerial	Pay Band -3 Rs.15600 - 39100 plus Grade Pay of Rs.7600	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

#### SCHEDULE

Period of probation, if any	Method of recruitment: whether by recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
9	10	11	12	13
Not applicable	By Deputation	Officers working in Central Government or State Governments or Union Territories Administrations or Public Sector Undertaking or Autonomous or Statutory bodies etc. (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the Parent Cadre or Department; or (ii) with 5 years regular service in posts in Pay Band-3 Rs. 15600-39100 with Grade Pay-Rs 6600 and possessing the prescribed qualifications and experience; (b) Qualifications and Experience. Essential: (i) A graduate degree or equivalent from a recognised University; (ii) Having at least 5 years experience of administrative, financial and legal matters Desirable: (i)Working knowledge of Urdy:	<ul> <li>(i) Secretary, Ministry of Minority Affairs</li> <li>Chairman</li> <li>(ii) Joint Secretary, Ministry of Minority Affairs</li> <li>Member</li> <li>(iii) Joint Secretary, Ministry of Minority Affairs</li> <li>Member</li> </ul>	Not applicable
		<ul><li>(i)Working knowledge of Urdu;</li><li>(ii) Ability to read and write Arabic and</li></ul>		

[भाग ||−खण्ड 3(i)]

Persian (iii) Experience in construction work or in the field of education or other social welfare		
activities; Note:1- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre posts held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department shall ordinarily not exceed 4 years. The maximum age limit for appointment to deputation shall be 'not exceeding 56 years' as on the closing date of receipt of application.		
Note:2- For the purpose of computing minimum qualifying service for deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1 <sup>st</sup> January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission, has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the	ning no controlles an los exemples an internet and an internet an internet and an internet and an internet an internet and an internet and an internet an internet and an internet an internet and an internet an internet an internet an internet an internet and an internet an internet and an internet an internet an internet and an internet an internet an internet and an internet an internet an internet an internet and an internet an internet	
Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common Grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the posts for which that Grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.		·

1	2	3	4	5	6	7	8
<ol> <li>Assistant Administrative Officer</li> </ol>	1 *(2014) *(Subject to variation and dependent on work load)	General Central Service Group- B (Non- Gazetted), Non- Ministerial	Pay Band-2 Rs.9300 -34800 plus Grade Pay of Rs.4800	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

9	10	11	12	13
Not applicable	By Deputation	Officers from Central Government or State Government or UnionTerritories Administration or Public Sector Undertaking or Autonomous or	(i) Secretary, Central Waqf Council - Chairman	Not applicable
	200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200	Statutory bodies etc. (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with 6 years regular service in posts with	(ii) Deputy Secretary or Under Secretary, Ministry of Minority Affairs - Member	
	sented?	Grade Pay-Rs.4200 or equivalent and possessing the qualifications and experience;	(iii) Under Secretary, Ministry of Minority Affairs - Member	
	microb	(b) Qualifications and Experience:	<ul> <li>Models - Nordellastrast</li> <li>Statute Rel 4: ph</li> </ul>	
	1.1.2.	Essential:	in to have proved the second	
		<ul> <li>(i) Degree from a recognized University;</li> <li>(ii) Five years experience in work relating to establishment or administration.</li> </ul>		
		Desirable:		

2201 55714-7

25

364 (55)-

[PART II-SEC. 3(i)]

-

<ul> <li>(i) Elementary knowledge of Persian and Arabic;</li> <li>(ii) Proficiency in Urdu;</li> </ul>	
(iii) Thorough knowledge of Government Rules, regulations and procedure.	
Note:1- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or	
Departments shall ordinarily not exceed 3 years. The maximum age limit for appointment to deputation shall be 'not exceeding 56 years' as on the closing date of receipt of application.	
Note:2- For the purpose of computing minimum qualifying service for deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from	
which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission, has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale	
extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common Grade pay or	
pay scale and where this benefit will extend only for the posts for which that Grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.	

1	2	3	4	5	6	7	8
<ol> <li>Assistant Law Officer</li> </ol>	1*(2014) *(Subject to variation and dependent on work load)	General Central Service Group- B (Non- Gazetted), Non- Ministerial	Pay Band -2 Rs.9300-34800 plus Grade Pay of Rs. 4800	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Not By Promotion (A) For Promotion: pplicable failing which Legal Assistant (Legal) with minimum		
poplicablefailing which by DeputationLegal Assistant/ Assistant (Legal) with minimum six years of experience in regular service in pay scale of Pay Band 2 Rs.9300-34800 plus grade 	<ul> <li>(i) Secretary, Central Waqf Council - Chairman</li> <li>(ii) Deputy Secretary or Under Secretary, Ministry of Minority Affairs - Member</li> <li>(iii) Under Secretary, Ministry of Minority Affairs - Member</li> </ul>	Not applicable

[भाग   - खण्ड 3(i)]	भारत का राजपत्र : असाधारण	27
[भाग   -खण्ड 3(i)]	भारत का राजपत्र : असाधारण (i) Bachelor Degree in Law from a recognized University; (ii) Five years experience of legal work Desirable: (i) Elementary knowledge of Persian and Arabic; (ii) Computer literacy; (iii) Knowledge of Government Rules and administrative/establishment procedure; (iv) Adequate knowledge of Waqf Act and Revenue Laws; (v) Proficiency in Urdu; Note:1- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Ogranisation or Departments shall ordinarily not exceed 3 years. The	27
	maximum age limit for appointment to deputation shall be ' Not exceeding 56 years' as on the closing date of receipt of application. Note:2- For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion or deputation,	
	the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure bases on the Sixth Central Pay Commission, has been	
	extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into	
	one grade with a common Grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the posts for which that Grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.	

1	2	3	4	5	6.	7	8
<ol> <li>Development Officer</li> </ol>	1*(2014) *(Subject to variation and dependent on work load)	General Central Service Group- B (Non- Gazetted), Non- Ministerial	Pay Band -2 Rs.9300-34800 plus Grade Pay of Rs. 4800.	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

9	10	- 11	12	13
Not applicable	By Promotion failing which by Deputation	<ul> <li>A) Promotion:</li> <li>Assistant with at least 6 years regular service in posts in Pay Band-2 Rs.9300-34800, Grade Pay - Rs.4200.</li> <li>B) Deputation: <ul> <li>(a) Officers from Central Government or State Government or Union Territories</li> </ul> </li> </ul>	<ul> <li>(i) Secretary, Central Waqf Council         <ul> <li>Chairman</li> <li>(ii) Deputy Secretary or Under</li> <li>Secretary, Ministry of Minority Affairs</li></ul></li></ul>	Not applicable
	iones) auritad	Administration or Public Sector Undertaking or Autonomous or Statutory bodies etc. (i) holding analogous posts or above on regular basis, or (ii) with 6 years regular service in posts of Grade Pay-4200 or equivalent and possessing the qualifications and experience; (b) Qualifications and Experience:- Essential :	14 (A) Eromoliano (A) Eromol	

	<ul> <li>(i) Degree from a recognized University;</li> <li>(ii) At least 3 years experience in</li> </ul>	
	constructional or developmental activities as a supervisory capacity. Desirable:	
	(i) Experience in Administration and	
	Accounts; (ii) working knowledge of Urdu; (iii) Ability to read Persian and Arabic. Note:1- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre posts held immediately preceding this	
	appointment in the same or some other Organisation or Departments shall ordinarily	
	not exceed 3 years. The maximum age limit for appointment to deputation shall be 'Not exceeding 56 years' as on the closing date of receipt of application.	
	The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation.	
	Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.	
	Note:2- For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion or deputation, the service rendered on a regular	
	basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure bases on the Sixth Central Pay	
	Commission, has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended	
	based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of	
and the second	pay into one grade with a common Grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the posts for which that Grade	
	pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.	

1	2	3	4	5	6	7	8
5. Assistant Accounts Officer	1*(2014) *(Subject to variation and dependent on work load)	General Central Service Group-B (Non- Gazetted), Non- Ministerial	Pay Band -2 Rs.9300- 34800 plus Grade Pay of Rs. 4800.	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

9	10	11	. 12	13
Not applicable	By Promotion failing which by Deputation	<ul> <li>(A) Promotion:</li> <li>Accountant/Assistant(Accounts) with 6 years regular service in posts of Grade Pay- Rs.4200</li> <li>(B) Deputation:</li> </ul>	<ul> <li>(i) Secretary, Central Waqf Council         <ul> <li>Chairman</li> <li>(ii) Deputy Secretary or Under Secretary, Ministry of Minority</li> </ul> </li> </ul>	Not applicable

[ भाग || खण्ड 3(i)]

	(a) Officers from Central Government or State Government or UnionTerritories Administration or Public Sector Undertaking or Autonomous or Statutory bodies etc.	Affairs - Member (iii)Under Secretary, Ministry of Minority Affairs - Member	
	<ul> <li>(i) holding analogous posts or above on regular basis</li> </ul>	and a second s	raisma Salar
•	<ul> <li>(ii) with 6 years regular service in posts in Grade Pay Rs.4200 or equivalent and possessing the qualifications and experience;</li> <li>(b) Qualifications and Experience:-</li> </ul>	lene sour proving Lene source as control cast en the sources officer reasons	
	<ul> <li>(b) Qualifications and Experience.</li> <li>Essential:         <ul> <li>(i) CA (inter) or qualified ICWA or CFA or MBA (Finance) or Degree in Commerce from a recognized University;</li> </ul> </li> </ul>	1-9-0-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	
	<ul> <li>(ii) Five years experience in accounts, preparation of budget, budgetary control. procurement/ maintenance of stores, income- tax, final accounts in an office/institution of</li> </ul>		
	repute; (iii) Ability to operate accounts through computer software/experience of computer		
	operation. <b>Desirable:</b> (i) Knowledge of Government Financial Rules		
	and Administrative/establishment procedure; (ii) Adequate Knowledge of Waqf Act; (iii) Proficiency in Urdu.		
	Note:1- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre posts held immediately preceding this appointment		
	in the same or some other Ogranisation or Departments shall ordinarily not exceed 3 years. The maximum age limit for appointment to deputation shall be ' not		
	exceeding 56 years' as on the closing date of receipt of application. The departmental officers in the feeder		
	category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation.		
	Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.		
	Note:2- For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion or deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006	and and second	
	or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission, has been extended, shall be	Country of Party Party Party	
	deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay	Contraction of the second	
	Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common Grade pay	the address of the second	
	or pay scale and where this benefit will extend only for the posts for which that Grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.		

29

2201 45714-8

[PART II—SEC. 3(i)]

i	2	3	4	5	6	7	8
5. Assistant (Accounts)/ Accountant	3*(2014) *(Subject to variation and dependent on work load)	General Central Service Group-B (Non- Gazetted), Non- Ministerial	Pay Band - 2 Rs.9300- 34800 plus Grade Pay of Rs. 4200.	Not applicable		Qualifications and Experience:- (a) Essential : (i) CA (inter) or qualified ICWA or CFA or MBA (Finance) or Degree in Commerce from a recognized University; (ii) Five years experience in accounts, practical knowledge of book keeping and final accounts, investments etc. or worked as Junior Accountant at Grade Pay-Rs.2400. (b) Desirable: (i) Elementary knowledge of Persian and Arabic; (ii)/Adequate Knowledge of Waqf Act and Rules and procedure and ability to do correspondence work independently in English; (iii) Proficiency in Urdu.	o Not applicabl

9	10	11	12	13
wo ycars	By Promotion failing which by Direct Recruitment	<ul> <li>Promotion:</li> <li>(i) Accounts Clerk with 10 years regular service in Pay Band-1 with Grade Pay - Rs.2400 or Upper Division Clerk having 10 years of regular service and out of which at least 5 years experience in Accounts matter;</li> <li>(ii) Adequate knowledge of Computer operation.</li> <li>Note: 1- Deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</li> <li>Note: 2- For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion or recruitment, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission, has been extended, shall be deemed to be service</li> </ul>	<ul> <li>i) Secretary, Central Waqf Council         <ul> <li>Chairman</li> <li>ii) Deputy Secretary or Under</li> <li>Secretary, Ministry of Minority Affairs</li></ul></li></ul>	Not applicable

[भाग ||-खण्ड 3(i)]

1	rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more	
	than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for	
	the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.	a parlamente de la construcción de Construcción de la construcción de l

1	2	3	4	5	6	7	8
7. Assistant (l.cgal)	1*(2014) *(Subject to variation and dependent on work load)	General Central Service Group-B (Non- Gazetted), Non- Ministerial	Pay Band -2 Rs.9300- 34800 plus Grade Pay of Rs. 4200.	Not applicable	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt for the applications.	Qualifications and Experience: (a) Essential : (i) Bachelor Degree in Law from a recognized University; (ii) Five years experience in legal practice or office work regarding legal matters on the post of Upper Division Clerk; (b) Desirable: (i) Elementary knowledge of Persian and Arabic; (ii) Adequate Knowledge of Waqf Act and Rules and procedure and ability to do correspondence work independently in English; (iii) Proficiency in Urdu.	Not applicable

9	10	11	12	13
I'wo years	By Promotion failing which by Direct Recruitment	<ul> <li>Promotion:</li> <li>(i) Upper Division Clerk with at least 10 years regular service in Pay Band-2 with Grade Pay Rs.2400 and have 5 year experience in dealing legal matter</li> <li>(ii) Adequate knowledge of Computers operating</li> <li>Note:1- Deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</li> <li>Note:2- For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion or recruitment, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth</li> </ul>	<ul> <li>(i) Secretary, Central Waqf Council - Chairman</li> <li>(ii) Deputy Secretary or Under Secretary, Ministry of Minority Affairs - Member</li> <li>(iii) Under Secretary, Ministry of Minority Affairs - Member</li> </ul>	Not applicable

#### [PART II-SEC. 3(i)]

Central Pay Commission, has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common Grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the posts for which that Grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

1	2	3	4	5	6	7	8
<ol> <li>Assistant (Development) /Assistant.</li> </ol>	1*(2014) *(Subject to variation and dependent on work load)	General Central Service Group-B (Non- Gazetted), Non- Ministerial	Pay Band - 2 Rs.9300 - 34800 plus Grade Pay of Rs. 4200.	Not applicable	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt for the applications.	Qualifications and Experience: (a) Essential: (i) Degree from a recognized University; (fi)Adequate knowledge of Computer having typing speed of 35 words in English or 30 words in Hindi per minute on computer. (b) Desirable: (i)Elementary knowledge of Persian and Arabic; (ii)Adequate knowledge of Persian and Arabic; (ii)Adequate knowledge of Waqf Act and Rules and Procedure and ability to do correspondence work independently in English: (iii) Proficiency in Urdu.	Not applicable

9	10	11	12	13
Two years	By Promotion failing which by Direct Recruitment	<ul> <li>Promotion: <ol> <li>Upper Division Clerk with at least 10 years regular service in Pay Band-1 with Grade Pay-Rs.2400 and</li> <li>Adequate knowledge of Computer having typing speed 35 words in English or 30 words in Hindi per minute in Computer.</li> </ol> </li> <li>Desirable:- <ol> <li>Typing speed 25 words in Urdu in Computer</li> <li>Note:1- Deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</li> </ol> </li> <li>Note:2- For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion or recruitment, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January. 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission, has been extended, shall be deemed to be service rendered in</li> </ul>	<ul> <li>i) Secretary, Central Waqf Council - Chairman</li> <li>ii) Deputy Secretary or Under Secretary, Ministry of Minority Affairs - Member</li> <li>iii) Under Secretary, Ministry of Minority Affairs</li> <li>Member</li> </ul>	Not applicable

#### [ भाग || खण्ड 3(i)]

3

ί.

1

the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale	
of pay into one grade with a common Grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the posts for which that Grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.	

1	2	3	4	5	6	7	8
9. Stenographer	1*(2014) *(Subject to variation and dependent on work load)	General Central Service Group-B (Non- Gazetted), Non- Ministerial	Pay Band -2 Rs.9300-34800 plus Grade Pay of Rs.4200.	Not applicable	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt for the applications.	Qualifications and Experience: (a) Essential : (i) Degree or equivalent from recognised University; (ii) Ability to write in 100 words per minute in shorthand; and (iii) Adequate knowledge of Computer having typing speed 35 words in English or 30 words in Hindi per minute in Computer (b) Desirable: (i) Typing speed 25 words in Urdu in Computer; (ii) Proficiency in Urdu. Note: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration.	Not applicable

9	10	11	12	13
Two years By Promotion failing which		Promotion: (a) Essential:	(i) Secretary, Central Waqf Council - Chairman	Not
	by Direct Recruitment	<ul> <li>(i) Steno Typist/Upper Division Clerk with at least 10 years regular service in Pay Band-1 with Grade Pay-Rs.2400;</li> <li>(ii) Shorthand 100 words per minute; and</li> </ul>	<ul> <li>(ii) Deputy Secretary or Under Secretary, Ministry of Minority Affairs Member</li> <li>(iii) Under Secretary, Ministry of Minority Affairs - Member</li> </ul>	
	857 14-9	(iii) Adequate knowledge of Computer having typing speed 35 words in	Antonia and Antonia	

[PART II-SEC. 3(i)]

	English or 30 words in Hindi per minute in Computer	nin produktion nin sammin sambo		
	(b) Desirable:			10 10 10 10
	Typing speed 25 word per minute in Urdu in Computer.			
	Note:1- Deputationists shall not be eligible			
	for consideration for appointment by			
	promotion.			1
	Note:2- For the purpose of computing			ALL SALES
	minimum qualifying service for promotion			
	or recruitment, the service rendered on a			1000
				100
	regular basis by an officer prior to 1st			1.2. 211.5
	January, 2006 or the date from which the			1.1.1
	revised pay structure based on the Sixth		1	The Alter
	Central Pay Commission, has been			1.9.5.1.1.1.1
	extended, shall be deemed to be service			12 12 19
dunno est na	rendered in the corresponding pay or pay			
d total	scale extended based on the			E Desire
L'AND ON	recommendations of the Pay Commission			1.1.1
	except where there has been merger of more			
130	than one pre-revised scale of pay into one			
Server Ser	grade with a common Grade pay or pay			1.
- Bangs	scale and where this benefit will extend only			
And the second	for the posts for which that Grade pay or			
THE APPRES	pay scale is the normal replacement grade			0.00
and the second	without any upgradation.			1919

1	2	3	4	5	6	7	8
10. Library, Documentation & Reference Assistant	1*(2014) *(Subject to variation and dependent on work load)	General Central Service Group-B (Non- Gazetted), Non- Ministerial	Pay Band -2 Rs.9300- 34800 plus Grade Pay of Rs. 4200.	Not applicable	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt for the applications.	Qualifications and Experience: (a) Essential: (i) Degree in Library Science; (ii) Five years experience of working in a reputed Library; (b) Desirable: (i) Degree in Law; (ii) Working knowledge of Persian and Arabic; (iii) Knowledge of Waqf Law; and (iv) Proficiency in Urdu	Not applicable

9	10	11	12	13
Two years	By Promotion failing which by Direct Recruitment	Promotion : (i) Upper Division Clerk with 10 years regular service in Grade Pay Rs.2400 ; (ii) 5 years experience in Library work; and (iii) Degree in Library Science.	<ul> <li>(i) Secretary, Central Waqf Council         <ul> <li>Chairman</li> <li>(ii) Deputy Secretary or Under</li> <li>Secretary, Ministry of Minority Affairs</li> <li>Member</li> </ul> </li> </ul>	Not applicable
		Note:1- Deputationists shall not be eligible	(iii) Under Secretary, Ministry of	
		for consideration for appointment by	Minority Affairs - Member	

| भाग || खण्ड 3(i)]

promotion. 2- For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion or recruitment, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission, has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common Grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the posts for which that Grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

A	2	3	4	5	6.	7	8
1. Assistant Programmer	1*(2014) *(Subject to variation and dependent on work load)	General Central Service Group-B (Non- Gazetted), Non- Ministerial	Pay Band -2 Rs.9300 - 34800 plus Grade Pay of Rs. 4200	Not applicable	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt for the applications.	Qualifications and Experience: (a) Essential: (i) BCA or three years Diploma in Computer Application/ Post Graduate Diploma in Computer Application; (ii) Three years experience of Computer Application or Software Development; and (iii) Proficiency in English (b) Desirable: Working Knowledge of Hindi and Urdu. Note:1- Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government or State Government or State Government or Public Sector Undertaking or Autonomous or Statutory bodies etc. (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with 5 years regular service in posts in Pay Band-2 with Grade Pay- Rs.2400 or equivalent; and (iii) possessing the qualifications and	Not applicabl

[PART II-SEC. 3(i)]

	No. 10 Sec. 10	experience prescribed for direct recruits.
	a bit off one when those a	Note:2- The departmental
	the line of the highling	officers in the feeder
	1 D. danie of the markets	category who are in the
	Adda to a start a start	direct line of promotion
	- the second second second	shall not be eligible for
The second second	all have been been and	consideration for
	and an and a second second second	
		deputation. Similarly,
		deputationists shall not be
	The state of the second se	eligible for consideration
	NAME AND ADDRESS OF ADDRESS OF	for appointment by
		promotion.

9	10	11	12	13
Two years	Direct Recruitment	Not applicable	<ul> <li>(i) Secretary, Central Waqf Council - Chairman</li> <li>(ii) Deputy Secretary or Under Secretary, Ministry of Minority Affairs - Member</li> <li>(iii) Under Secretary, Ministry of Minority Affairs</li> <li>Member</li> </ul>	Not applicable

. 1	2	3	4	5	6	7	8
12. Upper Division Clerk	3*(2014) *(Subject to variation and dependent on work load)	General Central Service Group-C (Non- Gazetted), Non- Ministerial	Pay Band - 1 Rs.5200 - 20200 plus Grade Pay of Rs.2400.	Not applicable	Between 18 and 25 years (The upper age limit for the Government servants would be 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt for the applications.	Qualifications and Experience: (a) Essential: (i) Degree or equivalent from a recognized University; and (ii) At least 3 years experience in correspondence work in Government or Semi-Government Department (b) Desirable: Proficiency in Urdu.	Not applicable

9	10	11	12	13
Two years	By Promotion failing which by Direct Recruitment	Promotion: (i) Lower Division Clerk with at least 8 years regular service in Grade Pay- Rs.1900; (ii) Matriculation pass; and (iii) working knowledge of Computer, adequate knowledge of Urdu, Hindi and English. Note:1- Deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.	<ul> <li>(i) Secretary, Central Waqf Council         <ul> <li>Chairman</li> <li>(ii) Deputy Secretary or Under</li> <li>Secretary, Ministry of Minority</li> <li>Affairs</li> <li>Member</li> <li>(iii) Under Secretary, Ministry of</li> <li>Minority Affairs</li> <li>Member</li> </ul> </li> </ul>	Not applicable

[ भाग ||-खण्ड 3(i)]

Note:2- For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion or recruitment, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission, has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common Grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the posts for which that Grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

1	2	3	4	5	6	7	0
13. Accounts Clerk	3*(2014) *(Subject to variation and dependent on work load)	General Central Service Group-C (Non- Gazetted), Non- Ministerial	Pay Band-1 Rs.5200 - 20200 plus Grade Pay of Rs. 2400.	Not applicable	Between 18 and 25 years. (The upper age limit for the Government servants would be 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt for the	Qualifications and Experience: (a) Essential: (i) Degree in Commerce from a recognized University; (ii) Three years experience in the field of Accounts; (iii) Ability to operate accounts through computer; and (iv) Proficiency in Urdu	8 Not applicabl
	in the second	ld ad Docentrative House			applications.	(b) Desirable: Knowledge of Waqf Act and Rules.	
	The second second	nand varial i maint inner		and the second	salov Orbin eleccitica	Tarada da	
	and the second sec		1 1 2 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			Solution of the second s	

9	10	an entry 11 course of 20 designed	12	13
l'wo years	By Promotion failing which by Direct Recruitment	<ul> <li>Promotion:</li> <li>(i) Lower Division Clerk/Accounts clerk with at least 8 years regular service in Grade Pay - Rs.1900; and</li> <li>(ii) Matriculation Pass</li> <li>Note:1- Deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</li> <li>Note:2- For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion or recruitment, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure</li> </ul>	<ul> <li>(i) Secretary, Central Waqf Council         <ul> <li>Chairman</li> <li>(ii) Deputy Secretary or Under</li> <li>Secretary, Ministry of Minority</li> <li>Affairs</li> <li>Member</li> <li>(iii) Under Secretary, Ministry of</li> <li>Minority Affairs</li> <li>Member</li> </ul> </li> </ul>	Not applicable

#### 2201 5:714-10

[PART II-SEC. 3(i)]

based on the Sixth Central Pay Commission, has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or	
pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more	
than one pre-revised scale of pay into one grade with a common Grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the	
posts for which that Grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.	

1	2	3	4	5	6	7	8
14. Lower Division Clerk	6*(2014) *(Subject to variation and dependent on work load)	General Central Service Group-C (Non- Gazetted), Non- Ministerial	Pay Band - 1 Rs.5200- 20200 plus Grade Pay of Rs. 1900.	Not applicable	(The upper age limit for the Government servants would be 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt for the applications.	Qualifications and Experience: (a) Essential : (i) 12th Pass or equivalent; (ii) Adequate knowledge of Computer having typing speed 35 words in English or 30 words in Hindi per minute in Computer (b) Desirable: (i) Typing speed 25 words in Urdu in Computer; and (ii) Proficiency in Urdu.	Not applicable

9	10	11	12	13
I'wo years	By Promotion failing which by Direct Recruitment	<ul> <li>Promotion: <ul> <li>(a) Essential:</li> </ul> </li> <li>(i) Officials with 3 years regular service in the pay scale of Rs. 5200-20200 in Grade Pay - Rs.1800 and Matriculation pass;</li> <li>(ii) Adequate knowledge of Computer having typing speed 35 words in English or 30 words in Hindi per minute in Computer</li> <li>(b) Desirable: <ul> <li>(i) Typing speed 25 words in Urdu in Computer, and</li> <li>(ii) Proficiency in Urdu.</li> </ul> </li> <li>Note:1- The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration.</li> </ul> <li>Note:2- Deputationists shall not be eligible for</li>	<ul> <li>(i) Secretary, Central Waqf Council - Chairman</li> <li>(ii) Deputy Secretary or Under Secretary, Ministry of Minority Affairs - Member</li> <li>(iii) Under Secretary, Ministry of Minority Affairs</li> <li>Member</li> </ul>	Not applicable

38

| भाग || खण्ड 3(i)]

consideration for appointment by promotion. Note:3- For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion or recruitment, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission, has been extended, shall be deemed to be service reńdered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common Grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the posts for which that Grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

1	2	3	4	5	6	7	8.
15. Steno Typist	2*(2014) *(Subject to variation and dependent on work load)	General Central Service Group-C (Non- Gazetted), Non- Ministerial	Pay Band - 1 Rs.5200- 20200 plus Grade Pay of Rs.1900.	Not applicable	Between 18 and 25 years (The upper age limit for the Government servants would be 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt for the applications.	Qualifications and Experience: (a) Essential (i) 12th class pass or equivalent; (ii) One year Diploma or equivalent in Computer course from a Government recognised institutions; (iii) Shorthand at least 80 words per minutes; and (iv) Having typing speed 35 words in English or 30 words in Hindi per minute in Computer (b) Desirable: (i) Typing speed 25 words in Urdu in Computer ; and (ii) Proficiency in Urdu	Not applicable

9	10	11	12	13
'wo ycars	By Promotion failing which by Direct Recruitment	Promotion:         (i) Officials with 3 years regular service in Grade Pay- Rs.1800;         (ii) Matriculation pass;         (iii) Knowledge of typing and Urdu; and         (iv) at least six months Diploma Course or equivalent in Computer         Note: 1- Deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.         Note:2- For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion or	<ul> <li>(i) Secretary, Central Waqf Council         <ul> <li>Chairman</li> <li>(ii) Deputy Secretary or Under</li> <li>Secretary, Ministry of Minority Affairs</li></ul></li></ul>	Not applicable

2201 - 714-11

L

# [PART II-SEC. 3(i)]

i	recruitment, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission, has been extended, shall be deemed to be service rendered in the	
	corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common Grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the posts for which that Grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.	

1	2	3	4	5	6	7	0
16. Dispatch Rider/Driver- cum-Dispatch Rider	2*(2014) *(Subject to variation and dependent on work load)	General Central Service Group-C (Non- Gazetted), Non- Ministerial	Pay Band -1 Rs.5200- 20200 plus Grade Pay of Rs.1900.	Not applicable	Between 18 and 25 years (The upper age limit for the, Government servants would be 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt for the applications.	Qualifications and Experience: (a) Essential :	8 Not applicable

9	10			
10	10	11	12	13
Two years	Direct Recruitment	Not applicable	(i) Secretary, Central Waqf Council - Chairman	Not applicable
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			(ii) Deputy Secretary or Under Secretary,	

40

[ भाग ||-खण्ड 3(i)]

भारत का राजपत्र : असाधारण

Ministry of Minority Affairs - Member (iii) Under Secretary, Ministry of Minority Affairs - Member

	2	3	4	5	-6	7	8
17. Multi asking Staff (MTS)	3*(2014) *(Subject to variation and dependent on work load)	General Central Service Group - C (Non- Gazetted), Non- Ministerial	Pay Band - 1 Rs.5200 - 20200 plus Grade Pay of Rs. 1800.	Not applicable	Between 18 and 25 years (The upper age limit for the Government servants would be 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt for the applications.	Qualifications and Experience: Essential: Matriculation pass or equivalent or ITI pass (Exact qualification will be specified in the advertisement as per the requirement of the work) Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government or Union Territories Administrations or Public Sector Undertaking or Autonomous or Statutory bodies etc.	Not applicable

9	10	11	12	13
Two years	Direct Recruitment	Not applicable	<ul> <li>(i) Secretary, Central Waqf Council         <ul> <li>Chairman</li> <li>(ii) Deputy Secretary or Under</li> <li>Secretary, Ministry of Minority Affairs</li></ul></li></ul>	Not applicable

[F. No. 8/4/2010-Waqf] RAKESH MOHAN, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.